

**कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा**

क्रमांक :- विविध/2024/ 03


दिनांक : 02/01/2025

**आदेश**

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4(2) एवं तत्कालीन निरीक्षण न्यायाधिपति के निर्देश दिनांक 04.05.2011 के मुताबिक कोटा मुख्यालय से बाहर स्थित न्यायालयों हेतु निम्नलिखित अधिवक्तागण को वर्ष 2025 के लिये कमिशन पर बयान लेने हेतु कमिशनर नियुक्त किया जाता है:-

क्र० सं०	अभिभाषक का नाम	एनरोलमेन्ट नं०	संपर्क नंबर
<b>रामगंजमण्डी मुख्यालय:-</b>			
1	नन्द लाल भील	R/2346/2012	9001319578
2	रोहित धाकड	R/2926/2023	9460815551
<b>सांगोद मुख्यालय:-</b>			
1	अब्दुल वहीद अंसारी	R/0269/1975	7976436647
2	जितेन्द्र कुमार	R/2568/2014	9950488074
<b>कनवास मुख्यालय:-</b>			
1	मनोज कुमार शर्मा	R/0576/2009	9414750196
2	सुरेश गोचर	R/0987/2020	8696494616
<b>इटवा मुख्यालय:-</b>			
1	लेखराज प्रजापति	R/0990/2002	9414557270
2	गिरीश कुमार गोयल	R/2712/2018	9414650526
3	नन्दकिशोर कुशवाहा	R/3900/2018	6350425407
<b>दीगोद मुख्यालय:-</b>			
1	दीनदयाल सेन	R/2098/2004	9829490246
2	धनराज भील	R/2125/2010	8107906117
3	जितेन्द्र शर्मा	R/0445/2016	9166833856
4	राहुल चौधरी	R/0266/2018	7073030707
5	विवेक शर्मा	R/4215/2023	9057670939

- नोट- 01. संबंधित न्यायालय सलेम बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (AIR 2003 S.C. 189) एवं सलेम बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (AIR 2005 S.C. 3353) में प्रतिपादित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए कमिशनर नियुक्ति करें।
02. कमिशनर की नियुक्ति रोटेशन के आधार पर की जावे।
03. प्रत्येक कमिशनर को, जिसे साक्षी के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के लिये नियुक्त किया जाता है, साधारण नियम सिविल एवं क्रिमिनल 2018 के आदेश 20 नियम 43 (4) के अनुसार उक्त कार्य के लिये (प्रकरण के तथ्यों के अनुसार जो उचित हों) न्यूनतम पारिश्रमिक 200/-रुपये एवं अधिकतम 500/-रुपये देय होंगे।


  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
कोटा

क्रमांक:- विविध/2024/120-136

दिनांक : 02/01/2025

प्रतिलिपि:-

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी, जिला-कोटा
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद/दीगोद/रामगंजमण्डी जिला-कोटा
3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास/दीगोद/इटवा/रामगंजमण्डी,
4. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, रामगंजमण्डी/सांगोद/दीगोद/कनवास/इटवा को प्रेषित कर निर्देश है कि वे नियुक्त आयुक्तों को उनकी प्रति अपने स्तर पर उपलब्ध करावें।
4. प्रोटोकॉल ऑफिसर/वरिष्ठ मुंसरिम/रीडर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा अपलोड करने हेतु।

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
कोटा